तारीख हुक्म	न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा जिला–डूंगरपुर, राजस्थान **नियमित दाण्डिक प्र0सं0 360/2026** राजस्थान राज्य **बनाम दिनेश**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म..की तामील में जारी हुए

दिनांक : 06.06.2026

थानाधिकारी **पुलिस थाना कुँआ** की ओर से इस्तगासा संख्या 94/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 185 एम.वी.एक्ट में अभियुक्त/गैरसायल **दिनेश पिता लेम्बा डिण्डोर मीणा निवासी सोहनवडली पुलिस थाना कुँआ जिला डूंगरपुर** के विरूद्ध पेश किया। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त/गैरसायल मय अधिवक्ता **श्री अल्पेश कुमार डामोर** के साथ उपस्थित।

अधिवक्ता/अभियुक्त को सुना गया एवं इस्तगासा/पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासा के साथ संकलित सामग्री से उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 185 एम.वी.एक्ट का प्रसंज्ञान लिये जाने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध होने से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। **प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक हो।**

अभियुक्त को धारा 185 एम.वी.एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को स्वीकार किया एवं अंवीक्षा नहीं चाही। साथ ही लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया व प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त **दिनेश पिता लेम्बा डिण्डोर मीणा निवासी सोहनवडली पुलिस थाना कुँआ जिला डूंगरपुर** को अपराध अन्तर्गत धारा 185 एम.वी.एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अनिल चावला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

सजा व परिवीक्षा के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली और विधि का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और इस आशय का अभियुक्त ने शपथ–पत्र पेश किया है। अभियुक्त निर्धन, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं।

अतः अभियुक्त **दिनेश पिता लेम्बा डिण्डोर मीणा निवासी सोहनवडली पुलिस थाना कुँआ जिला डूंगरपुर** को अपराध धारा 185 एम.वी.एक्ट की दोषसिद्धी में तत्काल किसी सजा से दण्डित नहीं कर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 03 का लाभ देकर सम्यक् रूप से भर्त्सना व प्रताड़ना देकर छोड़ा जाता है। अभियुक्त को हिदायत दी जाती है कि वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करे। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत **1500/–रूपये** बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेगा।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पंजीकृत वाहन स्वामी को सुपुर्द किया जा चुका है।

अभियुक्त ने आदेशानुसार शपथ पत्र एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत अभियोजन व्यय की राशी जरीये **ई–चालान नंबर 0124692884 दिनांक 06.06.2026** से जमा कराकर चालान की प्रति पेश की। जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिलान् दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल चावला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

ANIL CHAWLA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by ANIL CHAWLA
Location: JM COURT SIMALWARA
Date: 2026.06.08 10:28:16 +0530